न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर
सीगा अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005
प्रकरण संख्या 1115/2025 (GCMS: 2025/443)
(RTI No. : 212768074758154)

श्री मुकन्द सिंह पुत्र श्री हरनेक सिंह निवासी गांव 5 केएसडी, पो.ऑ. सुखचैनपुरा तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर (मोबाईल नम्बर 94619–41862)

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

10.02.2026

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी मुकन्द सिंह स्वयं उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी मुकन्द सिंह ने लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रार्थना पत्र दिनांक 30.10.2025 से छः बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी ने उसे उपलब्ध नहीं करवाई है इसलिए अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने हेतु यह अपील पेश की है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी मुकन्द सिंह ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 30.10.2025 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर से निम्न छः बिन्दुओं की सूचना चाही थीः

1. ....
2. दिनांक 27.10.2025 को कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर और कार्यालय जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर दोनों विभागों के लोक सेवकों के पदनाम की सूची तह बाजार धान मण्डी, श्रीगंगानगर में दुकान नं. 151 व 152 को ए यू स्मॉल फाईनेंस बैंक द्वारा सील की गई के दौरान ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों के पद नाम व मजिस्ट्रेट नियुक्त सहित के नाम की सूची चाही है, समस्त पत्रावली के दस्तावेज चाहे है।
3. बिन्दु संख्या दो के अनुसार पुलिस विभाग के लोक सेवकों के पदनाम व बेल्ट नम्बर सहित दुकान नं. 151 व 152 को सील करते समय ड्यूटी में उपस्थित रहे थे। (पदनाम की सूची चाही है।)
4. बिन्दु दो के अनुसार कोर्ट का आदेश दिया गया हो तो आदेश की प्रमाणित दस्तावेज चाहा है। कोर्ट के आदेश की पालना में रिपोर्ट सहित दस्तावेज चाहा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2026.03.18 12:30:23 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

5. ....
6. लोक सूचना अधिकारी सूचनाएं दिलाने के लिए आर.टी.आई. की धारा 5(4) अपने विभाग में अन्य विभाग में 6(3) में भेजकर सूचनाए दिलवाने का दायित्व करें।
7. जिला कलक्टर, कार्यालय श्रीगंगानगर मजिस्ट्रेट नियुक्त (न्याय शाखा) में आदेश क्रमांक 3004 व 3005 दिनांक 06.10.2025 से सम्बन्धित है। ये सूचनएं इसी से सम्बन्धित है।

आप द्वारा वांछित सूचना से अधिक लोक प्राधिकरणों के अधिकार क्षेत्र से सम्बन्धित है, जिसके सम्बन्ध में प्रमुख शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग, सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ, राजस्थान सरकार, जयपुर के परिपत्र प.22(16)प्रसु/सूअप्र/2010 जयपुर दिनांक 16.12.2011 के पृष्ठ संख्या 3 के बिन्दु संख्या 10 निम्नानुसार अवलोकनीय है:

सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत केवल ऐसी सूचना प्रदान करना अपेक्षित है जो लोक प्राधिकरण के पास पहले से मौजूद है या उसके नियंत्रण में है। लोक सूचना अधिकारी, द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठाई गई समस्याओं का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नों के उत्तर देना अपेक्षित नहीं है। सूचना का सृजन करना अधिनियम के कार्यक्षेत्र से बाहर है। **ऐसी सूचना जिसके हिस्से अलग अलग लोक प्राधिकरणों के अधिकार क्षेत्र में हो, को एकत्र किया जाना सूचना का सृजन किया जाना माना जाता है। आवेदन प्राप्त करने वाले लोक प्राधिकरण से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि यह आवेदक को सूचना प्रदान करने के लिए अलग–अलग लोक प्राधिकरणों से सूचना एकत्र करें।**

प्रभारी अधिकारी, ए.यू. स्मॉल फाईनेंस बैंक लि. ने दिनांक 16.12.2025 से अपील का जवाब निम्नानुसार प्रेषित किया है:

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2026.03.18 12:30:23 IST
Reason: SelfAttested

एयू स्मॉल फाईनेंस बैंक, लिमिटेड क[illegible] अधि[illegible]म 1956 के अंतर्गत पंजीकृत एक लघु बैं[illegible] कार्य अपने ग्राहकों को वित्तीय सुविधा प्रदान करना है। एयू स्मॉल फाईनेंस बैंक लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय 19–ए धुलेश्वर [illegible]न, अजमेर रोड़, जयपुर–302001, राजस्थान द्वारा आपके पत्र के संदर्भ में आपको सूचित करना चाहते है कि :

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

> उक्त शिकायत की जांच के उपरांत यह पाया गया है की, दी गई शिकायत में शिकायतकर्त्ता श्री मुकुंद जी द्वारा शिकायत में उल्लिखित मोबाईल नम्बर 9461941862 किसी अन्य व्यक्ति का है। साथ ही शिकायत में संबंधित ऋण के विषय में कोई अन्य आवश्यक जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है तथा न ही ऋण/खाता का उल्लेख किया गया है।
>
> **बैंकिंग नीति–नियमों के अनुसार**, शिकायतकर्त्ता श्री मुकुंद जी को किसी अन्य व्यक्ति के ऋण से संबंधित जानकारी प्रदान किया जाना नीति–नियमों के अंतर्गत अनुमन्य नहीं है। साथ ही, आवश्यक एवं पूर्ण जानकारी प्रदान न किए जाने के कारण, उक्त शिकायत को बंद (क्लोज) किया जा रहा है।
>
> **हम आपके कार्यालय** को सूचित करना चाहते है कि आवश्यक विवरण के अभाव के कारण बैंक को शिकायत बंद करनी पड़ी है।
>
> अतः प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर हम इस शिकायत को बंद करने का अनुरोध करते है।

प्राधिकृत अधिकारी, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड ने अपील का जवाब उक्तानुसार दिया है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत प्राधिकृत अधिकारी, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लि. द्वारा सूचनाओं के सम्बन्ध में पारित आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अधिकारी के रूप में अद्योहस्ताक्षरकर्त्ता अधिकृत नहीं है। इस न्यायालय को उक्त अपील को प्रथम अपील अधिकारी के रूप में सुनने का क्षेत्राधिकार नहीं है। इसलिए अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील खारिज की जाती है। प्रार्थी यदि प्राधिकृत अधिकारी, एयू स्मॉल फाईनेंस बैंक लि. के जवाब से असंतुष्ट हो तो और एयू स्मॉल फाईनेंस बैंक लि. **को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत लोक प्राधिकरण माना गया हो और सूचना देने के लिए दायित्वबद्ध भी माना हो तो प्रार्थी** उनके सक्षम प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील पेश करने के लिए स्वतंत्र है।

अतः उक्त विवेचन अनुसार अपीलार्थी की अपील निस्तारित की जाती है। **आदेश की प्रति प्राधिकृत अधिकारी, एयू स्मॉल फाईनेंस बैंक लि.** को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 10.02.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2026.03.18 12:30:23 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ. मन्जू)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर